<u>समाचार</u>

<u>सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने पर निगम ने लगाया अर्थदण्ड</u>

<u>(सड़क, चौक, चौराहे व सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंकने की निगम द्वारा लगातार दी जा रही समझाईश)</u>

कोरबा 04 दिसम्बर 2017 –सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक कर सफाई व्यवस्था को बाधित करने व शहर में गंदगी फैलाने वालों पर निगम ने कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी है, इसी कड़ी में आज सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने वाले रम्मी मेहरवाटिका दुरपा रोड कोरबा पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड निगम द्वारा लगाया गया।

निगम में स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि आयुक्त श्री रणबीर शर्मा के आदेशानुसार निगम क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालकर शहर की साफ–सफाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व शहर में गंदगी करने वालों के खिलाफ निगम द्वारा अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है, इसके पूर्व निगम द्वारा बार–बार समझाईश दी गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फेंके, घरों, दुकानों व प्रतिष्ठानों से निकले हुए कचरे को डस्टबिन में संग्रहित करके रखे तथा डोर–टू–डोर अपशिष्ट संग्रहण हेतु आने वाले सफाईमित्र के वाहन में ही कचरे को डाले। इसी प्रकार शादी घरों, आयोजन स्थलों के संचालकों से भी बार–बार अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों से निकले हुए अपशिष्ट के समुचित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें, किन्तु अभी भी कतिपय लोगों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंक दिया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए निगम द्वारा इस पर कड़ी कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होने बताया कि रम्मी मेहरवाटिका दुरपा रोड कोरबा के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कचरा डाला गया था, जिस पर निगम ने कार्यवाही करते हुए उन पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है, निगम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालने वालों के विरूद्ध यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

<u>सार्वजनिक स्थानों पर कचरा कदापि न डालें</u>– आयुक्त श्री रणबीर शर्मा ने अपील करते हुए कहा है कि घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों आदि से उत्सर्जित हुए अपशिष्ट को सूखे व गीले कचरे के रूप में अलग–अलग डस्टबिनों में संग्रहित करके रखें तथा डोर–टू–डोर संग्रहण हेतु आने वाले सफाई मित्र के वाहन में ही उस कचरे को डालें। उन्होने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, चौक–चौराहों, सड़कों, नाली आदि में कचरा कदापि न डालें, शहर की साफ–सफाई व्यवस्था व अपने शहर को साफ–सुथरा रखने में सहयोग दें तथा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने के परिणाम स्वरूप निगम द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।

<u>आयोजन से पूर्व निगम को सूचना देना आवश्यक है</u>– डॉ.संजय तिवारी ने बताया कि शादी घरों, आयोजन स्थलों एवं ऐसे आयोजन व पार्टियॉ जहां पर सौ से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं, इनके आयोजन से पूर्व नगर निगम को लिखित रूप से सूचना देना आवश्यक है तथा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के सन्निहित दिशा निर्देशों के अनुसार अनिवार्य भी है। उन्होने बताया कि निगम इन आयोजनों की सूचना प्राप्त होने पर नियमानुसार यूजर चार्ज लेकर आयोजन स्थल से उत्सर्जित कचरे के निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।